

छत्तीसगढ़ भागीदारी अधिनियम 1932 एवं नियम 1951 :-

भागीदारी अधिनियम, 1932

संबंधित प्रावधान

अध्याय - 7

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

धारा - 56. इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति- किसी राज्य की राज्य सरकार द्रासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध उस राज्य को उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भग को लागू नहीं होंगे।

धारा -57. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) हर रजिस्ट्रार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) उकी धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

धारा 58. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, उसमें उस फर्म के कारबार का कोई स्थान स्थित हैं या स्थित किमया जाना प्रस्थापित है, विहित प्ररूप में और विहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हों, डाक द्वारा भेज कर या परिदत्त करके किसी भी समय कराया जा सकेगा -

- (क) फर्म का नाम,
- (ख) फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान,
- (ग) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारबार चलाती है।
- (घ) वह तारीख जिसमें हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ,
- (ड.) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते, तथा
- (च) फर्म की अस्तित्वावधि।

सह कथन सब भागीदारों द्वारा यह उनके ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा जो इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत हों हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा।

(3) फर्म नाम में निम्नलिखित शब्दों में से किसी का भी अर्थात्-

"क्राउन", एम्परर ", एम्पैरस, एम्पायर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन, रायल, या ऐसे द्याब्दों का, जिनसे सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या प्रतिश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जब कि राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग-स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो।

धारा - 59. रजिस्ट्रीकरण - जब कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि धारा 58 के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनवर्तन हो गया है।, तब वह फर्मों का रजिस्टर नामक रजिस्टर में उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाईल कर देगा।

धारा - 60. फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख-(1) जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाए, तब विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेजा जा सकेगा जिसमें उस परिवर्तन या विनिर्देश हो और जो धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो।

(2) जबकि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि उपधारा (1) के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनुवर्तन हो गया है तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे फाइल कर देगा।

धारा-61. शाखाओं के बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना - जब कि कोई कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी ऐसे स्थान पर अपना कारबार बन्द या चलाना आरम्भ करे जो उसके कारोबार का मुख्य स्थान न हो तब उस फर्म का कोई भी भागीदार या अभिकर्ता उसकी प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेज सकेगा जो फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में ऐसी प्रज्ञापना का टिप्पण कर लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उस प्रज्ञापना को फाइल कर देगा।

धारा-62. भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना - जब कि रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करे, तब फर्म के किसी भी भागीदारी या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की प्रज्ञापना भेजी जा सकेगी और रजिस्ट्रार उससे उसी प्रकार बरतेगा, जैसा धारा 61 में उपबंधित है।

धारा-63. फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन - (1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो तब अन्दर जाने वाला, बना रहने वाला या बाहर जाने वाला कोई भी भागीदार और जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति, जो विघटन से अव्यवहित पहले भागीदार रहा हो, या किसी ऐसे भागीदार या व्यक्ति का इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत अभिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख या विनिर्देश करनते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में उस सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना को धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ फाइल कर देगा।

(2) अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन - जबकि कोई अप्राप्तवय जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया हो, प्राप्तवय हो जाए और भागीदार बनने का या न बनने का निर्वाचन कर ले और फर्म उस रजिस्ट्रीकृत फर्म हो तब वह या इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत उसका अभिकर्ता रजिस्ट्रार को यह सूचना देगा कि वह भागीदार बन गया है या नहीं बना है और रजिस्ट्रार उसा सूचना से उसी प्रकार बरतेगा जैसा उपधारा (1) में उपबंधित है।

धारा-64. भूलों का परिशोधन- (1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्टर में की किसी प्राविष्टि को जो किसी भी फर्म से संबंधित हो इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी भूल का परिशोधन करें।

(2) उप सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्मों संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, रजिस्ट्रार ऐसी किसी भी भूल का परिशोधन कर सकेगा जो ऐसी दस्तावेज में या फर्मों के रजिस्टर में किए गए उसके अभिलेख या टिप्पणी में हों

धारा-65. न्यायालय के आदेश से रजिस्टर संशोधन- रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्राविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करे, जो उसके विनिश्चय के परिणामस्वरूप प्रभावी हो, और रजिस्ट्रार तदनुसार उस प्राविष्टि का संशोधन करेगा।

धारा-66. रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण - (1) फर्मों का रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन फाइल किए गए सब कथन, सूचनाएं और प्रज्ञापनाएं ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

धारा-67. प्रतियों का दिया जाना - किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की गई हो, फर्म के रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग की अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा।

धारा-68 साक्ष्य के नियम - (1) फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणित कोई भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना, उसमें कठित किसी भी तथ्य का निश्चायक सबूत उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापना या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी।

(2) फर्मों के रजिस्टर में की किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्राविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना की अन्तर्गवस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी।

धारा-69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव - (1) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिकथित हो, किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो।

(2) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की ओर से किसी भी न्यायालय में किसी पर -व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदारों के तौर पर दर्शित न हों या दर्शित न रह चुके हों।

(3) उपराधाराओं (1) और (2) के उपबंध किसी संविदा के उद्भूत किसी अधिकारी को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाने वाले मुजराई के दावे या अन्य कार्यवाही को भी लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेंगे-

(क) किसी फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का लेख लेने के लिए, वाद लाने के किसी अधिकार के या किसी विघटित फर्म की संपत्ति आप्त करने के किसी भी अधिकार या शक्ति के प्रवर्तन पर, अथवा

(ख) किसी दिवालिया भागीदासर की संपत्ति को आप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशिती रिसीवर या न्यायालय की प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन द्राक्तियों पर।

(4) यह धारा निम्नलिखित को लागू न होगी -

(क) ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को, जिनके कारबार का कोई स्थान उन राज्य क्षेत्रों में नहीं है, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या जिनके कारबार के स्थान पर उक्त राज्य क्षेत्रों में

स्थित है जिनको धारा 56 के अधीनकी गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं है, अथवा

(ख) मूल्य में सौ रुपये से अनधिक के किसी भी ऐसे वाद या मुजराई के दावे को, जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का, या प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 8) की द्वितीय

अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का न हो अथवा निष्पादन में कि किसी भी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो।

धारा-70. मिथ्या विशिष्टीया देने के लिए शक्ति- कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधक कथन, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें कोई ऐसी विशिष्ट अन्तर्विष्ट है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता अथवा जिसमें विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हैं जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नहीं करता वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या कजुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा-71. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकसेगी जो वह फीस विहित करेंगे जो फर्म के रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी या उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, जो फर्मों के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में हों या फर्मों के रजिस्टर में की प्रतियों के लिए संदेय होंगी:

परन्तु ऐसी फीस अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम फीसों के अधिक न होंगी ।

- (2) राज्य सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो -
- (क) धारा 58 के अधीन दिए जाने वाले कथन और उसके सत्यापन का प्ररूप विहित करेंगे,
- (ख) यह अपेक्षित करेंगे कि धारा 60, 61, 62, और 63 के अधीन कथन, प्रज्ञापनाएं और सूचनाएं विहित प्ररूप में हो और उनका प्रारूप विहित करेंगे,
- (ग) फर्मों के रजिस्टर का प्ररूप और वह ढंग जिस ढंग से फर्मों संबंधी प्रविद्गितयां उसमें की जानी है तथा वह ढंग जिस ढंग से ऐसी प्रतिवष्टियाँ संशोधित की जानी हैं, या उनमें टिप्पण किए जाने हैं, विहित करेंगे,
- (घ) विवादों के उद्भूत होने पर रजिस्ट्रार द्वारा अनुवर्तनीय प्रक्रिया विनियमित करेंगे,
- (ङ.) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना विनियमित करेंगे,
- (च) मूल दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, द्वातें विहित करेंगे,
- (छ) प्रतियों का दिया जाना विनियमित करेंगे,
- (ज) रजिस्टरों और दस्तावेजों की छंटाई विनियमित करेंगे,
- (झ) फर्मों के रजिस्टर की अनुक्रमणिका का रखा जाना और उसका प्रारूप उपबंधित करेंगे, तथा
- (ञ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए होंगे।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।
- (4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय-8

अनुपूरक

धारा-72. लोक सूचना देने का ढंग - इस अधिनियम के अधीन लोक सूचना-

- (क) जहां कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से किसी भागीदार की निवृत्ति या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे के या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे के या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे में अप्राप्तवय के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया हथा प्राप्तवय होने पर भागीदार बन जाने के या न

बनने के निर्वाचन से, संबंधित है, वहाँ फर्मों के रजिस्ट्रार को धारा 63 के अधीन सूचना देकर और शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा में कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका परिचालन उस जिले में हो, जिसमें उस फर्म का जिससे वह सूचना संबंधित है, कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती हैं तथा

(ख) किसी भी अन्य दशा में, शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका परिचालन उस जिले में हो, जहां फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है। प्रकाशन द्वारा दी जाती है।